WWW.LAWTREND.IN

प्रेषक,

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। ,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ) लखनऊः दिनांक-

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-डी0-679-सात-न्याय-3-99-53/98 दिनांक 26.04.1999 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में आबद्ध किये गये मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/स्थायी अधिवक्ता/विशेष अधिवक्ता/एमीकस क्यूरी/वाद धारक की याचिकाओं तथा प्रकीर्ण वादों मे बहस हेतु फीस का निर्धारण कर यह उपबन्ध किया गया है किः-

''उक्त फीस तभी अनुमन्य होगी जब यह प्रमाणित किया जाय कि संबंधित अधिवक्ता ने कम से कम 02 वादों में बहस की, अन्यथा एक याचिका में बहस हेतु उक्त फीस की आधी फीस ही अनुमन्य होगी।''

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत मा0 न्यायालयों में भौतिक उपस्थिति बन्द् होने की तिथि से प्रश्नगत आपात स्थिति विद्यमान रहने तक (मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय में अधिवक्ताओं की नियमित भौतिक उपस्थिति की अनुमति प्रदान किये जाने तक) उक्त शासनादेश दिनांक 26.04.1999 के उपरोक्त प्रस्तर को शिथिल करते हुए फौजदारी एवं सिविल साइड के उक्त राज्य विधि अधिकारियों को मा0 उच्च न्यायालय के वास्तविक कार्यदिवस (कार्यदिवस जिसमें मा0 उच्च न्यायालय में आभासी (virtual) या भौतिक उपस्थिति द्वारा सुनवाई हुई हो) के क्रमशः केवल 80 प्रतिशत एवं केवल 70 प्रतिशत कार्यदिवसों के बहस की फीस का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 26.04.1999 के उक्त प्रस्तर के संबंध में प्रदान की जा रही शिथिलता कोविड-19 महामारी विषयक निर्गत दिशा निर्देशों को समाप्त किये जाने अर्थात् मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय में अधिवक्ताओं की नियमित भौतिक उपस्थिति की अनुमति प्रदान किये जाने पर स्वतः निष्प्रभावी समझी जायेगी।

4- शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-१२-०४ (ई०ओ०) दस-२०२१, दिनांक-०७-०६-

WWW.LAWTREND.IN

२०२१ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
Date:Wed Jun 09 14:47:07 IST 2021
Reason: Approved

भवदीय,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव।

संख्या-दिनांकः तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ।

2-अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3-निबन्धक/अपर निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ।

4-मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ।

5- वाद अधीक्षक,मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ।

6-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

7-समस्त जनपद न्यायाधीश उत्तर प्रदेश।

8-समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

9-न्याय अनुभाग-8 (लेखा)।

10-वित्त अनुभाग ई-9।

11-संयुक्त विधि परामर्शी,मा0 उच्चतम न्यायालय, विधि कोष्ठक, नई दिल्ली।

13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव।